कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता–भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक–16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक–16.06.2017 के पश्चात् जारी जारी किये गये। जिसके क्रम में अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक–16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशो से सबंधित अभ्यर्थियों किशना राम एवं अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे याचिका सं–10972/2022 किशना राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता मे स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिको के समान वरिष्ठता वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या–10972/2022 किशना राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–02.08.2022 में याचिका को एस बी सी याचिका संख्या–7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक–16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या–19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं–7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक–16.07.2014 में आदेशित किया है " of the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी नाना राम प्राध्यापक हिन्दी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए जिनमे मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक–16.06.2017 के अनुसार स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.स.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1.	Nana Ram	01.05.1992	1833	22.06.2017	04.07.2017

उक्त सभी याचिकार्थियों के नियुक्ति आदेश जून 2017 तथा कार्यग्रहण जुलाई 2017 है। राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप) विभाग के वित्त (नियम) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(17)शिक्षा–2/2022–00737 दिनांक 29.08.2023 में उल्लेखित नियमानुसार उक्त प्रकार के प्रकरणों के नोशनल परिलाभ देय नहीं है। अतः एतत्द्वारा अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षका सूचित होवें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नोशनल/किशना राम एवं अन्य/या.स.–10972/202 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3.निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.13 15:02:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4644130

4.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ....।
5.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ....।
6.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9.संबंधित प्राधानार्चा/संबंधित कार्मिक।
10.निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.13 15:02:48 IST
Reason: Approved